प्रेस विज्ञप्ति

25.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 24.03.2026 को **लंदन, यूनाइटेड किंगडम** में **हीथ्रो हवाई अड्डे के पास** स्थित **लगभग 7.5 करोड़ रुपये** के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्ति को अटैच करने का अस्थायी आदेश जारी किया है। संपत्ति की अस्थायी कुर्की एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है, जिसमें मेसर्स नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके निदेशक/प्रमोटर शामिल हैं, जिनकी वर्तमान में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों के आधार पर ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू कर दी है। पहला मामला पॉली लॉजिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य से संबंधित है, जिन पर पंजाब नेशनल बैंक को 57.47 करोड़ रुपये का धोखा देने का आरोप है। दूसरा मामला नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक सुनील कुमार त्रिवेदी और अन्य से संबंधित है, जिन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को 249.97 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कुल मिलाकर, कथित धोखाधड़ी की राशि 307.44 करोड़ रुपये है।

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच में कंपनियों के एक गिरोह के बीच बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण का खुलासा हुआ है, जिसका उद्देश्य अवैध कमाई को छिपाने और आरोपियों द्वारा धन की हेराफेरी करने के लिए बैंकिंग लेनदेन का एक जटिल जाल बनाना था। नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और पॉली लॉजिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों के माध्यम से उन संस्थाओं के साथ वित्तीय लेन-देन किया, जिन पर कर्मचारियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर फर्जी फर्म होने का संदेह है। ये फर्जी कंपनियां संबंधित संस्थाओं के बीच धन के हस्तांतरण, हेरफेर और विभिन्न स्तरों पर वितरण के लिए माध्यम का काम करती थीं, जिससे अपराध से प्राप्त धन की आवाजाही और अंतिम उपयोग को प्रभावी ढंग से छिपाया जा सके। जांच में यह भी पता चला कि अपराध से प्राप्त धन को निवेश के बहाने विदेशों में भेजा गया था।

इससे पहले, 26 फरवरी, 2026 को आरोपी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।